

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016—श्रावण 6, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. 22110-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 28 जुलाई 2016 को पुरःस्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ण) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(त) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है.”

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ में, खण्ड (घ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (आठ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(न) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता एवं हर घर में शौचालय होना पहली प्राथमिकता है. इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से, स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए यह निरर्हता अन्तःस्थापित की जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है, स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए अपात्र होगा. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १७ को तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा ३५ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २५ जुलाई, २०१६

माया सिंह
भारसाधक सदस्य.